TelegraphicAddress :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24651001 - 07

फैक्स/Fax : 24616286

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./No. 010/वी.जी.एल./056

परिपत्र सं0 32/08/10

दिनांक / Dated 28.09.2010.

विषय: सतर्कता जागरूकता अवधि - 2010 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्णय लिया है कि आयोग की परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों द्वारा इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अवधि का अनुपालन **25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010** तक किया जाएगा । सतर्कता जागरूकता अवधि का अनुपालन दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 को प्रात: 11 बजे प्रतिज्ञा लेने (प्रति संलग्न) के साथ आरंभ किया जाना चाहिए । इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अवधि का अनुपालन किए जाने का मुख्य केन्द्रबिन्दु है " भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पत्ति एवं प्रचार" । आयोग, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने पर बल देता रहा है तथा संगठनों को यह सलाह देगा कि इस वर्ष एक प्रभावकारी भ्रष्टाचार रोधी अभियान चलाएं ।

2. मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक उपक्रमों / बैंकों / संगठनों को सलाह दी जाती है कि सतर्कता जागरूकता अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें:-

- अपने कार्यालय में मुख्य स्थानों पर बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करना ।
- सेमिनार आयोजित करना तथा भाग लेने वालों को संबोधित करने के लिए क्षेत्रों से विशिष्ट संकाय को आमंत्रित करना ।
- कर्मचारियों के मध्य तथा कालेजों / स्कूलों में छात्र स्तर पर भ्रष्टाचार रोधी विषयों पर प्रतियोगी वाद-विवाद / व्याख्यान आयोजित करना तथा पुरस्कार वितरण करना ।
- अवधि के दौरान विशेष दैनिकी जारी करना; तथा
- सतर्कता जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए स्थानीय क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों तथा सेवा संस्थाओं से अनुरोध करना ।
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित शुल्क-रहित हॉटलाइन नम्बर शुरू करना ।

3. सप्ताह का अनुपालन किस तरीके से किया गया इसके बारे में फोटोग्राफ्स, सीडी आदि के साथ एक रिपोर्ट प्रत्येक संगठन द्वारा 15 दिसम्बर, 2010 तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए ।

4. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाईट http://cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

ह0/-
(के.एस. रामसुब्बन)
सचिव

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
3. भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक ।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/बैंकों/संगठनों के मुख्य कार्यपालक ।
6. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उद्यमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.